सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

बजट पत्रों का संक्षिप्त परिचय

KEY TO THE BUDGET DOCUMENTS

2025-2026

फरवरी / February, 2025

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

बजट प्रभाग

BUDGET DIVISION

बजट पत्रों का संक्षिप्त विवरण
बजट 2025-2026

1. वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा संसद में प्रस्तुत बजट दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई हैः

क. वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस)

ख. अनुदानों की मांगें (डीजी)

ग. वित्त विधेयक

घ. राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 के तहत अधिदेशित राजकोषीय नीति विवरणः

i. वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण

ii. मध्यावधि की राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण

ङ. व्यय बजट

च. प्राप्ति बजट

छ. व्यय की रूपरेखा

ज. बजट का सार

झ. वित्त विधेयक में प्रावाधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन

ञ. आउटपुट आउटकम मॉनीटरिंग प्रेमवर्क

ट. बजट 2025-26 की मुख्य विशेषताएं

ठ. बजट घोषणाओं 2024-25 का कार्यान्वयन

क्रम सं. क, ख और ग में दर्शित दस्तावेज भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 112,113 और 110(क) द्वारा अधिदेशित किए गए हैं, जबकि क्रम संख्या घ(i) और (ii) में उल्लिखित दस्तावेज राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं। क्रम सं. ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट और ठ पर उल्लिखित अन्य दस्तावेज त्वरित या प्रासंगिक संदर्भों के लिए उपयुक्त प्रयोक्तानुकूल प्रारूप में व्याख्या के साथ अधिदेशित दस्तावेजों के समर्थन में व्याख्यात्मक विवरणों की प्रकृति के हैं। इन सभी दस्तावेजों का हिंदी पाठ भी संसद में प्रस्तुत किया जाता है। बजट दस्तावेज http://indiabudget.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

2.1 ऊपर सूचीबद्ध बजट दस्तावेजों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

क. वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस)

अनुच्छेद 112 के तहत यथाउपबंधित वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस) में वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानों के साथ वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय तथा वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक आंकड़े भी दर्शाए गए हैं। प्राप्ति और भुगतान उन तीन भागों के अंतर्गत दर्शाए गए हैं जिनमें सरकारी खाते रखे जाते हैं अर्थात् (i) भारत की संचित निधि, (ii) भारत की आकस्मिकता निधि और (iii) भारत का लोक लेखा। जैसा कि भारत के संविधान में अधिदेशित किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण,

राजस्व खाते पर हुए व्यय को अन्य खातों पर हुए व्यय से अलग करता है। राजस्व और पूंजी भाग एक साथ मिलकर केंद्रीय बजट बनाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल प्राप्तियों और व्यय के अनुमान क्रमशः धन वापसी (रिफंड) और वसूलियों के निवल हैं।

संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा की महत्ता के साथ-साथ, राजस्व और पूंजीगत भागों की विशिष्ट विशेषताएं नीचे संक्षेप में दी गई हैंः

(i) भारत की संचित निधि (सीएफआई) का अस्तित्व संविधान के अनुच्छेद 266 से है। सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के राजस्व, इसके द्वारा लिए गए उधार, और इसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से प्राप्तियां, मिलकर भारत की संचित निधि का निर्माण करती हैं। सरकार का समस्त व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है और संसद की विधिवत अनुमति के बिना संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है।

(ii) संविधान का अनुच्छेद 267 भारत की एक आकस्मिकता निधि के अस्तित्व को अधिकृत करता है, जो भारत के राष्ट्रपति के अधीन रखा गया अग्रदाय है ताकि संसद से प्राधिकार के लंबित रहने तक सरकार द्वारा तात्कालिक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हो पाए। इस तरह के अप्रत्याशित व्यय के लिए, कार्योत्तर संसदीय अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, और इस तरह के कार्योत्तर अनुमोदन के बाद आकस्मिकता निधि की पुनःपूर्ति के लिए संचित निधि से उतनी ही राशि प्राप्त की जाती है। संसद द्वारा यथा-अधिकृत आकस्मिकता निधि का कोष वर्तमान में ₹30,000 करोड़ है।

(iii) सरकार द्वारा न्यास में रखे गए धन को लोक लेखा में रखा जाता है। लोक लेखा का अस्तित्व भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 से है। भविष्य निधि, लघु बचत संग्रह, सरकार की प्राप्तियां, सड़क विकास, प्राथमिक शिक्षा, अन्य आरक्षित/विशेष निधि आदि जैसे विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय के लिए अलग रखी गई हैं, जो लोक लेखा में रखे गए धन के उदाहरण हैं। लोक लेखा निधि, जो सरकार की नहीं है और जिसे अंततः उन व्यक्तियों और प्राधिकारियों को वापस भुगतान किया जाना है, जिन्होंने उन्हें जमा किया था, की निकासी के लिए संसदीय स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। संसद की स्वीकृति तब प्राप्त की जाती है जब संचित निधि से राशि निकाली जाती है और विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय के लिए लोक लेखा में रखी जाती हैं (विशिष्ट उद्देश्य पर वास्तविक व्यय को खर्च करने हेतु लोक लेखा से निकासी के लिए संसद की स्वीकृति के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाता है)। केंद्रीय बजट के राजस्व से संबंधित हिस्से को संदर्भ की आसानी के लिए नीचे (iv) में राजस्व बजट के रूप में और पूंजी से संबंधित हिस्से को संदर्भ की आसानी के लिए नीचे (v) पूंजीगत बजट के रूप में बांटा जा सकता है।

(iv) राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर राजस्व और गैर-कर राजस्व) और राजस्व व्यय शामिल होते हैं। कर राजस्व में संघ द्वारा लगाए गए करों और अन्य शुल्कों की आय शामिल होती है। वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाए गए राजस्व प्राप्तियों के अनुमान में वित्त विधेयक में किए गए विभिन्न कराधान प्रस्तावों के प्रभाव को हिसाब में लिया गया है। सरकार की गैर-कर प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकार द्वारा किए गए निवेश पर ब्याज और लाभांश, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियां शामिल हैं। राजस्व व्यय सरकारी विभागों के सामान्य संचालन और विभिन्न सेवाएं प्रदान करने, ऋण पर ब्याज का भुगतान करने, सब्सिडी देने, सहायता अनुदान आदि के लिए है। मोटे तौर पर, वह व्यय जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार के लिए आस्तियों का सृजन नहीं होता है, राजस्व व्यय के रूप में

माना जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य पक्षकारों को दिए गए सभी अनुदानों को भी संघ सरकार की बहियो में राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है, भले ही कुछ अनुदानों का उपयोग प्रदाता निकायों/संस्थाओं द्वारा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए किया जा सकता है।

(v) पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान मिलकर पूंजीगत बजट बनाते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार द्वारा लिए गए ऋण (इन्हें बाजार ऋण कहा जाता है), सरकार द्वारा ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से उधार, विदेशी सरकारों और निकायों से प्राप्त ऋण राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और अन्य पक्षकारों से ऋण की वसूली तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ आदि होती है। पूंजीगत भुगतान में भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण जैसी आस्तियों के अधिग्रहण पर पूंजीगत व्यय, साथ ही शेयरों आदि में निवेश और केंद्र सरकार द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों, सरकारी कंपनियों, निगमों और अन्य पक्षकारों को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

(vi) लेखांकन वर्गीकरण

- वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और संवितरणों का अनुमान तथा अनुदान की मांगों में व्यय का अनुमान संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत संदर्भित लेखांकन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाया जाता है।
- वार्षिक वित्तीय विवरण कुछ संवितरणों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जो भारत की संचित निधि से प्रभारित होते हैं। भारत का संविधान अधिदेशित करता है कि व्यय की मदें जैसे कि राष्ट्रपति की परिलब्धियां, राज्य सभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेतन, भत्ते और पेंशन, सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज और पुनर्भुगतान और न्यायालयों के आदेशों को पूरा करने के लिए किए गए भुगतान आदि, भारत की संचित निधि से प्रभारित किए जा सकते हैं और उन्हें लोकसभा द्वारा स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

ख. अनुदानों की मांगें

(i) संविधान का अनुच्छेद 113 अधिदेशित करता है कि भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय के अनुमान जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया गया और जिसके लिए लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है, को अनुदान की मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाना है। अनुदान की मांगों को वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आम तौर पर, प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के लिए अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है। तथापि, व्यय की प्रकृति के आधार पर किसी मंत्रालय या विभाग के लिए एक से अधिक मांगें प्रस्तुत की जा सकती हैं। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक अलग मांग प्रस्तुत की जाती है। बजट 2025-26 में अनुदान की 102 मांगें हैं। प्रत्येक मांग प्रारंभ में (i) 'स्वीकृत' और 'प्रभारित' व्यय; (ii) 'राजस्व' और 'पूँजीगत' व्यय और (iii) व्यय की राशि के सकल आधार पर कुल योग जिसके लिए मांग प्रस्तुत की गई है, का योग अलग-अलग देती है। इसके बाद विभिन्न प्रमुख लेखा शीर्षों के तहत व्यय का अनुमान लगाया जाता है। वसूली की राशि भी दर्शाई जाती

है। सकल राशि से वसूलियों को कम करने के बाद व्यय की निवल राशि को भी दिखाया जाता है। इस दस्तावेज़ के आरंभ में अनुदान मांगों का सारांश दिया गया है, जबकि 'नई' सेवा या 'नई' सेवा लिखत जैसे कि नई कंपनी, उपक्रम या नई योजना का गठन आदि, यदि कोई हो, का विवरण दस्तावेज़ के अंत में इंगित किया गया है।

(ii) प्रत्येक मांग में आम तौर पर किसी सेवा के लिए आवश्यक कुल प्रावधान अर्थात राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान और सेवा से संबंधित ऋण और अग्रिम के प्रावधान शामिल होते हैं। इसमें सेवा के लिए प्रावधान पूरी तरह से भारत की संचित निधि से प्रभारित व्यय के लिए है, उदाहरणार्थ मांग से अलग ब्याज भुगतान (अनुदान मांग संख्या 39), एक अलग विनियोजन, उस व्यय के लिए प्रस्तुत किया जाता है और इसे लोकसभा द्वारा स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जहां किसी सेवा संबंधी व्यय में व्यय की स्वीकृत और प्रभारित दोनों मदें शामिल हैं, बाद में उन्हें भी उस सेवा के लिए प्रस्तुत मांग में शामिल किया जाता है, लेकिन उस मांग में स्वीकृत और प्रभारित प्रावधान अलग-अलग दिखाए जाते हैं।

ग. वित्त विधेयक

संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के समय, संविधान के अनुच्छेद 110 (1) (क) की अपेक्षा को पूरा करने के लिए एक वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या बजट में प्रस्तावित कर के विनियमन का विवरण होता है। इसमें बजट से संबंधित अन्य प्रावधान भी शामिल होते हैं जिन्हें धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में यथापरिभाषित वित्त विधेयक एक धन विधेयक है।

घ. एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के तहत अधिदेशित राजकोषीय नीति विवरण

i. वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण

राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 3 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत संसद में वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अंतर्निहित अवधारणाओं के विवरण के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं का आकलन शामिल है। इसमें जीडीपी विकास दर, घरेलू अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र की स्थिरता, केंद्र सरकार के राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र संतुलन के संबंध में एक आकलन भी शामिल है।

ii. मध्यावधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीतिक विवरण

मध्यावधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीतिक विवरण को राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह बाजार कीमतों पर जीडीपी के संबंध में विशिष्ट राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन साल के प्रगतिशील लक्ष्य निर्धारित करता है अर्थात् (i) राजकोषीय घाटा, (ii) राजस्व घाटा, (iii) प्राथमिक घाटा (iv) कर राजस्व (v) गैर-कर राजस्व और (vi) केंद्र सरकार के ऋण। विवरण में अंतर्निहित अवधारणाएं राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन का आकलन और उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिए बाजार उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग शामिल है। यह मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए, कराधान,

व्यय, उधार, गारंटी आदि से संबंधित सरकार की कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को भी रेखांकित करता है। विवरण में यह उल्लेख किया जाता है कि वर्तमान राजकोषीय नीतियां किस प्रकार सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन संबंधी सिद्धांतों के अनुरूप हैं और इसमें प्रमुख राजकोषीय उपायों में किसी भी बड़े परिवर्तन के औचित्य को भी दर्शाया जाता है।

2.2 व्याख्यात्मक दस्तावेजः

बजट की प्रमुख विशेषताओं की अधिक व्यापक समझ को सुगम बनाने के लिए, कुछ अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। इन्हें संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

ङ. व्यय बजट

किसी योजना या कार्यक्रम के लिए किए गए प्रावधान अनुदानों की मांगों में राजस्व और पूंजीगत भागों में कई प्रमुख शीर्षों में फैले हो सकते हैं। व्यय बजट में, किसी योजना/कार्यक्रम के लिए किए गए अनुमानों को एक साथ लाया जाता है और उन्हें एक स्थान पर राजस्व और पूंजी के आधार पर निवल आधार पर दिखाया जाता है। अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों के व्यय को 2 व्यापक अम्ब्रेला (i) केंद्र के व्यय और (ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अंतरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। केंद्र के व्यय के अम्ब्रेला के तहत 3 उप-वर्गीकरण किये गये हैं जैसे (क) केंद्र का स्थापना व्यय (ख) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और (iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और स्वायत्त निकायों पर होने वाले व्यय सहित अन्य केंद्रीय व्यय।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाले अंतरण संबंधी अम्ब्रेला में निम्नलिखित 3 उप-वर्गीकरण शामिल हैंः

(क) केंद्र प्रायोजित योजना

(ख) वित्त आयोग अंतरण

(ग) राज्यों को होने वाला अन्य अंतरण

व्यय बजट में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित व्यय के अंतर्निहित उद्देश्यों को समझने के लिए, इस खंड में उपयुक्त व्याख्यात्मक नोट शामिल किए गए हैं।

च. प्राप्ति बजट

वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल प्राप्तियों के अनुमानों का "प्राप्ति बजट" दस्तावेज़ में और विश्लेषण किया जाता है। ऐसे दस्तावेज़ में कर और गैर-कर राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण दिया गया होता है और अनुमानों की व्याख्या भी दी गयी होती है। दस्तावेज में राजवितीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2004 के तहत अधिदेशित किए गए अनुसार, कर राजस्व और गैर-कर राजस्व के बकाया संबंधी एक विवरण भी होता है। प्राप्ति एवं व्यय के रुझानों के साथ-साथ घाटे के संकेतकों, राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) से संबंधित विवरण, देनदारियों का विवरण, सरकार द्वारा दी गई गारंटी का विवरण, आस्ति का विवरण और बाहरी सहायता का विवरण भी प्राप्ति बजट में दिया गया होता है। इसमें केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण भी शामिल है, जो कराधान प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करता है (इसे पूर्व में "राजस्व छूट का विवरण" कहा जाता था और एक अलग विवरण के रूप में दर्शाया जाता था)। यह विवरण वर्ष 2016-17 के

बजट से प्राप्ति बजट के अनुलग्नक के रूप में दिया गया है। यह दस्तावेज़ अतीत में तेल और उर्वरक सब्सिडी के बदले जारी प्रतिभूतियों (बांड) के कारण सरकार की देनदारियों को भी दर्शाता है।

छ. व्यय की रूपरेखा

(i) पहले इस दस्तावेज़ का शीर्षक व्यय बजट- खंड-I था। इसे योजनागत-गैर योजनेत्तर के विलय संबंधी निर्णय के अनुरूप फिर से तैयार किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यय और विभिन्न मांगों में कुछ अन्य मदों को सामूहिक रूप से दर्शाया जाता है।

(ii) वर्तमान लेखा और बजट प्रक्रिया के अंतर्गत, प्राप्तियों के कुछ वर्गों जैसे कि एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को किया गया भुगतान और पूंजीगत परियोजनाओं या स्कीमों की प्राप्तियों में से प्राप्तकर्त्ता विभाग के व्यय को घटा दिया जाता है। जहां अनुदान मांग में निहित व्यय का अनुमान सकल राशि से संबंधित होता है वहीं दूसरी ओर वार्षिक वित्तीय विवरण में निहित व्यय का आकलन वसूलियों का निवल होता है। ऐसे दस्तावेज में प्राप्तियों से संबंधित निवल व्यय जैसी अन्य परिशुद्धियां भी की गयी होती हैं जिससे कि प्राप्तियों और व्यय सम्बन्धी आंकड़ों के अतिरेक विवरण से बचा जा सके। इस दस्तावेज में ऐसे विवरण दिए गये हैं जिनमें बजट अनुमान 2024-25 और संशोधित अनुमान 2024-2025 के बीच होने वाले प्रमुख अंतरों के साथ-साथ संशोधित अनुमान 2024-25 और बजट अनुमान 2025-26 के बीच रहने वाले प्रमुख अंतरों को संक्षिप्त कारणों सहित दर्शाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में योगदान और विभिन्न सरकारी विभागों की स्थापना की अनुमानित संख्या और उनके प्रावधान अलग-अलग विवरणों में दर्शाए गए हैं। इस दस्तावेज में (i) जेंडर बजटिंग (ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए योजनाएं, जिनमें अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसएस) और जनजातीय उप योजना (टीएसएस) आवंटन शामिल है और (iii) बच्चों के कल्याण संबंधी योजनाएं भी शामिल हैं, जिनको दर्शाने वाला प्रत्येक विवरण भी इस दस्तावेज़ में शामिल है। इसमें (i) स्वायत्त निकायों संबंधी व्यय विवरण और बजट अनुमान तथा (ii) लोक लेखा आदि में कुछ महत्वपूर्ण निधियों के विवरण भी शामिल हैं।

(iii) **योजना व्यय**

योजना व्यय केन्द्र सरकार के कुल व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इस व्यय की रूपरेखा में प्रत्येक मंत्रालय के विभिन्न श्रेणियों में किये जाने वाले कुल प्रावधानों जैसे कि केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं, स्थापना एवं अन्य केन्द्रीय व्यय, राज्यों को किया गया अंतरण आदि को दर्शाया गया होता है और इसमें कुछ प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के बजट प्रावधानों को भी उजागर किया जाता है। इस दस्तावेज में विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का भी विवरण दिया गया होता है।

(iv) **वाणिज्यिक विभाग**

रेलवे सरकार का विभागीय रूप से संचालित प्रमुख वाणिज्यिक उपक्रम है। रेल मंत्रालय का बजट और रेल व्यय से संबंधित अनुदान मांगों को वित्तीय वर्ष 2017-18 से केंद्रीय बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाता है। रेलवे की अनुदानों की मांग के विभिन्न पहलुओं और रेलवे के हित संबंधी अन्य विवरणों को साथ प्रस्तुत करने के लिए व्यय प्रोफाइल में रेलवे संबंधी एक अलग खंड है। रेलवे की कुल प्राप्तियों और व्यय को भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है। अन्य व्यावसायिक रूप से संचालित विभागीय उपक्रमों का विवरण भी एक विवरण में दर्शाया गया है। प्राप्तियों और व्यय दोनों के अतिरेक से बचने के लिए व्यय को व्यय प्रोफ़ाइल और व्यय बजट में, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियों को घटाकर दर्शाया गया है।

(v) वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाई गई रक्षा मंत्रालय की प्राप्तियों और व्यय को रक्षा मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों के साथ प्रस्तुत रक्षा सेवा अनुमान दस्तावेज में अधिक विस्तार से बताया गया है।

(vi) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अलावा अन्य निकायों को दिए गए अनुदानों का विवरण विभिन्न मंत्रालयों की विस्तृत अनुदानों की मांगों के साथ संलग्न गैर-सरकारी निकायों को भुगतान किए गए सहायता अनुदान संबंधी विवरण में दिया गया है।

(vii) व्यय की रूपरेखा में लोक उद्यमों के संसाधनों (पीई) संबंधी विवरण सं. 25 भी शामिल है। इसमें लोक उद्यमों के वे अंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन (आईईबीआर) शामिल हैं जो उक्त वर्ष के दौरान लोक उद्यम द्वारा आंतरिक रूप से सृजित किए जाते हैं और/या इसके स्वयं के तुलन पत्र की क्षमता के आधार पर जुटाए जाते हैं।

(viii) व्यय की रूपरेखा में बाह्य बजटीय संसाधन (ईबीआर) संबंधी विवरण (सं. 27) शामिल है और यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः चुकाए गए ऐसे बंध-पत्रों के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों से संबंधित है, जिनमें मूलधन और ब्याज दोनों का पुनर्भुगतान/चुकौती भारत सरकार द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण से पूरी की जाती है। सरकार द्वारा सक्रिय प्रकटीकरण के भाग के रूप में विवरण (संख्या 27क) भारत सरकार के चुनिंदा व्यावसायिक रूप से संचालित उपक्रमों के बजटीय संसाधनों (ईबीआर) पर आधारित है, जो एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 2(कक) (III) के अनुसार केंद्र सरकार के ऋण का हिस्सा नहीं हैं।

ज. बजट, एक नज़र में

(i) यह दस्तावेज़ कर राजस्व और अन्य प्राप्तियों के विस्तृत विवरण के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरणों को संक्षेप में दिखाता है। यह दस्तावेज़ केंद्र सरकार द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरित किए गए संसाधनों का विवरण प्रदान करता है। यह दस्तावेज़ केंद्र सरकार के राजस्व घाटे, प्राथमिक घाटे और राजकोषीय घाटे को भी दर्शाता है। राजस्व प्राप्तियों की तुलना में सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता सरकार का राजस्व घाटा होता है। एक ओर, पुनर्भुगतानों को घटाकर राजस्व, पूंजी और ऋणों के रूप में सरकार के कुल व्यय तथा दूसरी ओर, सरकार को अर्जित

होने वाली राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियां, जो उधारी प्रकृति की नहीं होती, के बीच का अंतर सकल राजकोषीय घाटा होता है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा है जो ब्याज भुगतानों को घटाकर प्राप्त होता है।

(ii) दस्तावेज़ में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरित कुल संसाधनों की मात्रा और प्रकृति (केंद्रीय करों, अनुदान/ऋण में हिस्सा) को दर्शाने वाला एक विवरण भी शामिल है। करों के हिस्से, सहायता अनुदान और ऋण के रूप में इन अंतरणों का विवरण व्यय की रूपरेखा (विवरण संख्या 18) में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारी मात्रा में अनुदान और ऋण वित्त मंत्रालय द्वारा वितरित किए जाते हैं और इन्हें 'राज्यों को अंतरण', 'दिल्ली को अंतरण', 'पुदुचेरी को अन्तरण' तथा जम्मू और कश्मीर को अंतरण की मांग में शामिल किए जाते हैं। अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए अनुदान और ऋण इनकी संबंधित मांगों में परिलक्षित होते हैं।

झ. वित्त विधेयक में प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन

वित्त विधेयक में शामिल कराधान प्रस्तावों को समझने में सुविधा के लिए, प्रावधानों और उनके निहितार्थों को वित्त विधेयक में प्रावधानों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन नामक दस्तावेज में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है।

ञ. आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क

"आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क" में विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए आउटपुट और आउटकम को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें इनके लिए मापने योग्य संकेतकों और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विशिष्ट लक्ष्य दिए गए हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (सीएस) और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए ₹500 करोड़ और अधिक के वित्तीय परिव्यय के साथ आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) बजट 2025-2026 के साथ सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ₹500 करोड़ से कम परिव्यय वाली सीएस और सीएसएस योजनाओं के संबंध में योजनाओं के मदवार व्यय के साथ आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा तैयार किया जाता है और इसे विस्तृत अनुदानों की मांगों (डीडीजी) के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

ट. बजट 2025-26 की मुख्य विशेषताएं

यह दस्तावेज़ सरकार के आर्थिक विज़न और विकास तथा कल्याण के लिए अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख नीतिगत पहलों का एक स्नैपशॉट सारांश है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रमुख बजट प्रस्तावों के विहंगावलोकन के साथ-साथ सरकारी वित्त के राजकोषीय समेकन और प्रबंधन में प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां भी दस्तावेज़ में शामिल की गई हैं।

ठ. बजट घोषणाओं 2024-25 का कार्यान्वयन

यह बजट पत्र माननीया वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण 2024-25 में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का सारांश प्रस्तुत करता है।